क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.2.19	तहसीलदार चाकसू के पत्र क्रमांक 552 दिनांक 6.2.19 के द्वारा ग्राम स्वामीमावास की खाता संख्या 44 संवत 2071-75 की अपवादित भूमि शुद्ध किये जाने का पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो ग्राम स्वामीमावास पटा श्रीनिवासपुरा अर्थ भूमि की जमाबन्दी संवत 2071-74 में खाता सं. 44 में आ.नं. 145/641 रकबा 0.15 है. किया जाना दर्ज है जो अशुद्ध है जिसमें तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम स्वामीमावास की वर्तमान जमाबन्दी सं. 2071-74 की खाता सं. 44 में आ.नं. 145/641 रकबा 0.15 है. को राजाय गलती व मिसल पेशजात सं. 2051-70 के खाता सं. 23 से मिसल करने पर 155/641 रकबा 0.15 है. पाया जाने पर तहसील चाकसू की अनुशंसा अनुसार ग्राम स्वामीमावास पटा श्रीनिवासपुरा अर्थ भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सं. 2071-74 में खाता सं. 44 में दर्ज आ.नं. 145/641 रकबा 0.15 है. को बजाय आ.नं. 155/641 रकबा 0.15 है. शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी अनुसार राजाय रेकार्ड में शुद्ध किया जावे/निर्गत की पालना हेतु निदेश जावे। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)